



उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बैठक में उपस्थित सम् सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से गत बोर्ड बैठक दिनांक 02.08.06 की अनुपालन आख्या पढ़ी गयी। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई अतः सर्वसम्मति से अनुपालन आख्या अनुमोदित की गयी।

विषय क्रमांक 1 :- प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति।

आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश को निर्देश दिये गये हैं कि विकास शुल्क के स्थान पर सुधा शुल्क लिखा जाये इसी आदेश को इस बजट में सम्मिलित करने के आदेश के साथ साथ अवस्थापना बजट को बढ़ाकर 21 करोड़ रु० करते हुए बोर्ड द्वारा बजट को स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक 2 :- मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा भू-अर्जन हेतु लिये गये ऋण की स्थिति।

शासन द्वारा 24 भूअर्जन के प्रस्तावों के प्रकरणों को भू-अधिग्रहण से मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। मा० मंत्री परिषद के निर्णय के अनुसार प्राधिकरण द्वारा जो भी व्यय अब तक किया गया उसकी प्रतिपूर्ति शासन स्तर से की जायेगी। इस मांग के सम्बन्ध में एक सप्ताह के अन्दर प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक 3 :- प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना विकास हेतु लिये जाने वाली धनराशि को आयकर के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण का दायित्व घोषित किये जाने की नीति सम्बन्धी।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्त विषय क्रमांक के प्रस्तर-4 पर इंगित 4 बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव शासन को तद्विषयक शासनादेश निर्गत करने हेतु सन्दर्भित किया जाये। अवस्थापना मद की धनराशि को उसी वित्तीय वर्ष में ससमय सदुपयोग किये जाने हेतु सक्षम/अधिकृत निर्माण एजेन्सीयो, जिसके द्वारा अवस्थापना के कार्य कराये जाने हैं, को कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि तत्काल हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित करें।

Para 4 के चर्चा अन्तर्गत
पर 4 के अन्तर्गत ही गिरे।

Inc'



समिति अपनी रिपोर्ट दो सप्ताह के अन्दर उपाध्यक्ष, म०दे०वि०प्रा० के माध्यम से अध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति के उपरान्त यूडैक राष्ट्रीय समाचार पत्र के माध्यम से सीलड निविदाये आमंत्रित करेगी।

विषय क्रमांक 7 :- प्राधिकरण के कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

वर्तमान में उत्तरांचल शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या-679/चि०-3-2006-437/2002 दिनांक 4.9.2006 को लागू करते हुए प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

विषय क्रमांक 8 :- प्राधिकरण में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि अग्रिम निर्देशों तक पूर्व की भौति वेतन भुगतान की कार्यवाही में यथास्थिति बनायी रखी जाये।

विषय क्रमांक 9 :- प्राधिकरण के अकेन्द्रियत सेवा के कर्मचारियों की सेवा नियमावली के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के अकेन्द्रीयत सेवा कर्मियों की सेवा नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण शासन को प्रस्तुत करेगा।

विषय क्रमांक 10 :- प्राधिकरण कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा संस्तुति प्रदान करते हुए निर्देश दिये गये कि पूर्व प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में समयमान वेतनमान दिये जाने हेतु अनुस्मारक शासन को भेजा जाये।

विषय क्रमांक 11 :- नगर भूमि सीमा रोपण अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को कब्जा प्राप्त भूमियों के सम्बन्ध में

San 1

बोर्ड द्वारा
प्राधिकरण
तैयार कर

क्रमांक 12 :- म
एवं अ
मसूरी व
में।

बोर्ड द्वा
प्राइवेट
क्षेत्रों व
भुगता
प्राप्त
महाय
Ter
इण्डि

विषय क्रमांक 13:-

बो
प्रा
मा
स

विषय क्रमांक

विषय क्रमांक



बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी द्वारा भूमि का कब्जा प्राधिकरण को दिया जा चुका है। अतः कब्जा प्राप्त भूमि पर योजना तैयार कर प्राधिकरण आवश्यक कार्यवाही करें।

क्रमांक 12 :- मसूरी नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत नोटिफाईड प्राईवेट फोरेस्ट इस्टेट एवं अननोटिफाईड इस्टेट व अन्य वन स्वरूप क्षेत्रों के चिन्हिकरण हेतु मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि मसूरी नगर पालिका क्षेत्र में नोटिफाईड प्राईवेट फोरेस्ट इस्टेट एवं अननोटिफाईड इस्टेट व अन्य वन स्वरूप क्षेत्रों के चिन्हिकरण सर्वेक्षण हेतु अवशेष धनराशि रू० 7,26,200.00 का भुगतान सर्वे आफ इण्डिया को करते हुए पूर्व में कराये गये सर्वे को प्राप्त कर लिया जाये उसके परीक्षण के उपरान्त आवश्यकतानुसार यदि महायोजना तैयार किये जाने हेतु आवश्यक समझा जाये तो कार्य की Terms of refrence तैयार करते हुए अग्रिम कार्य भी सर्वे आफ इण्डिया से कराया जाये।

विषय क्रमांक 13:- नजूल नीति वर्ष 2005 के अन्तर्गत प्राप्त कुल आवेदनों का विवरण

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि नजूल नीति 2005 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा जिन बिन्दुओं पर समाधान वांछित है उन्हें शासन को मार्गदर्शन हेतु सन्दर्भित किया जाये। ~~वर्तमान में रि-डेवलपमेंट प्लान स्थापित रखा जाये।~~

विषय क्रमांक 14 :- ग्राम किरसाली मसूरी डाईवर्जन रोड देहरादून खसरा नम्बरान् 43क एवं 57ख रकबा 3760 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग कृषि से शैक्षिक भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक 15 :- ख० नं० 540, 541 एवं 546 से 550 ग्राम कांवली कुल क्षेत्रफल 3.72 एकड़ का भू-उपयोग आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के सम्बन्ध में।

Sub 1

उपाध्यक्ष, म० दे० वि० प्रा० के प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी के उपरान्त यूडैक राष्ट्रीय मंत्रित करेगी।

II प्रतिपूर्ति दिये जाने के

शासनादेश संख्या- 106 को लागू करते हुए ये।

के सम्बन्ध में।

क पूर्व की भौति वेतन ये।

की सेवा नियमावली

द्वीयत सेवा कर्मियों देहरादून विकास

की सुविधा उपलब्ध

कि पूर्व प्रेषित नुस्मारक शासन

प्राधिकरण को



प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक 16:- खसरा नं० 728ख, एवं 729 ग्राम सुद्धोवाला कुल क्षेत्रफल 3040 वर्ग मीटर/0.751 एकड़ का भू-उपयोग कृषि से मनोरंजन/पर्यटन में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक 17 :-द्रोणा स्कूल सोसायटी की काला गॉव के ख०न० 39,40, 44, 45, 52,75,76, 77,80 से 85,87,89,90,91,94 एवं 98 का भूउपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में

बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक 18 :- ग्राम केदारपुर में स्थित खसरा नम्बरान् 260, 261क, 261ख, 261ग, 283, 264, 265, 266, 267 क, 267ख,268 क 268 ख, 268 ग, 269, 270क, 270ख, 271, 272ख, 272ग, 273, 274क, 274ख, 274ग, 275ख, 276क, 276ख, 284, 295,286, 287क, 287ख, 288, 289क, 289ख, 290क, 290ख, 290ग, 291क, 291ख, 291ग, 293क, 295, 296क, 302, 303क, 303ख, 304, 305क, 305ख, 306, 307, 308, 308च, 308छ, 310क, 327, 328क, 328ग, 328घ, जिसके पुराने खसरा नम्बर 116, 117, 118, 119, 120, 121,122, 123, 124, 127, 128,167, 168, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 178, 196, 205, 206, 207,208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 223, 224, 231, 232, 233, 234, 310 रकबा 124750.50 वर्गमीटर अर्थात्12.4750 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग सीवरेज फार्म से सामुदायिक सुविधाओ, सांस्कृतिक संस्थान, व्यवसायिक, पर्यटन, आई टी० पार्क एवं आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



विषय क्रमांक 19 :- ग्राम आमवाला तरला में स्थित ख0न0 35 रकबा 221वर्ग मी0 भूमि का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक 20 :- सम्पत्ति संख्या/प्लॉट संख्या 21/1 एवं प्लॉट नं0 4, (पुराना) माल रोड गढ़ी कैंट, कुल रकबा 314.38 वर्ग मीटर है, का भू-उपयोग आवासीय से व्यावसायिक में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक 21 :- खसरा नं0 142 (पुराना 52) नया 139 (पुराना 55) नया 140 (पुराना 52 एवं 55) तथा नया खसरा नं0 142 (पुराना 52) ग्राम-जाखन कुल क्षेत्रफल-2.74 एकड़ वर्गमीटर का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक 22 :- कुमारी कामायनी वर्मा द्वारा ग्राम कोल्हूपानी में स्थित खसरा नम्बर 261 नया खसरा नम्बर 434 छ रकबा 200 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग बीर चन्द्र सिंह गढवाली स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत उद्यान (ओ0जी0) से पर्यटन भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक 23 :- साक्य सेन्टर द्वारा उत्तड़ी गाँव में प्रस्तुत शैक्षणिक मानचित्र के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।



विषय क्रमांक 24 :- श्री गुरविन्दर सिंह, रविन्द्र सिंह, जितेन्द्र सिंह द्वारा स्थल ख0 नं0 728ख एवं 729 क ग्राम सुद्धोवाला में होस्टल निर्माण हेतु मानचित्र संख्या 1773/2004-2005 के सम्बन्ध में ।

बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन हेतु शासन को प्रेषित कर दिया जाये ।

विषय क्रमांक 25:- भगवती प्रसाद खण्डूरी द्वारा खसरा नम्बर 702 देहराखास पर प्रस्तुत आवासीय मानचित्र संख्या 1622/04-05 के सम्बन्ध में ।

बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी ।

विषय क्रमांक 26 :- गायत्री विद्यापीठ सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत स्थल ग्राम कोटला सन्तूर नन्दा की चौकी के पास बायो मेडिकल कालेज के मानचित्र संख्या 128/2006.2007 के सम्बन्ध में ।

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

विषय क्रमांक 27 :- गुरजीत सिंह द्वारा स्थल 60 एवं 60/1 त्यागी रोड पर प्रस्तावित होटल के मानचित्र संख्या सी-61/05-06 के सम्बन्ध में ।

बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी ।

विषय क्रमांक 28 :- श्रीमती ज्योति उनियाल पत्नी श्री वी0एन0 उनियाल द्वारा भूखण्ड नम्बर 24 अजबपुर कलों पर वीर चन्द्र गढ़वाली योजना के अर्न्तगत गैस्ट हाउस हेतु प्रस्तावित मानचित्र संख्या सी-30/04-05 के सम्बन्ध में ।

बोर्ड द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन एवं भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क निर्धारित किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



विषय क्रमांक 29 :- श्री विशेश्वर गुप्ता एवं श्री मंजू गुप्ता द्वारा प्रस्तुत मानचित्र संख्या 1515 /2005-2006 मौजा ग्राम चुक्खूवाला स्थित खसरा नं० 47 के सम्बन्ध में ।

बोर्ड द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन एवं भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क निर्धारित किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

विषय क्रमांक 30 :- मानचित्र संख्या 1169/2006-2007 के अन्तर्गत मौजा हरियावाला के खसरा नं० 208, 214, 222 से 232 रकबा 1.2973 है०, धौलास के खसरा नं० 384 से 401 है रकबा 1.7615 है० जिनका भूउपयोग कृषि तथा ख० नं० 385 का भू-उपयोग वन (एफ०आर०) है तथा मौजा हरियावाला में स्थित ख० नम्बरों का भूउपयोग कृषि में प्रदर्शित है , को शैक्षणिक में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में ।

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

विषय क्रमांक 31 :- खसरा नम्बर 125, 126, 128 रकबा 2990.78 वर्ग मीटर स्थल कौलागढ़ मयचक भूड़ के ले-आउट संख्या 01/2004-2005 के सम्बन्ध में ।

बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी ।

विषय क्रमांक 32 :- डा० वी० के० अग्रवाल द्वारा स्थल खसरा न० 443 जिनका पुराना न०-429 मि० मौजा घोरणखास परगना परवादून में प्रस्तुत आवासीय मानचित्र सं०1055/05-06 के सम्बन्ध में ।

बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी ।

विषय क्रमांक 33 :- जनपद देहरादून के ग्राम क्यारकुली भट्टा के ख० न० 2942 एवं 2692 की 0.2517 हे० निजि वन भूमि में 1000.00 वर्गमीटर भूमि पर पेट्रोल पम्प की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण में शासन के आदेश 3289/वी-आ०22006715 (एयूसी) 2006दिनांक 24.11.2000 के



अनुपूरक विषय क्रमांक 5 :- भगवती शैक्षिक एवं तकनीकी संस्थान 5/1 प्लीजेन्ट वैली द्वारा खसरा नं० 705, 707, 708, 712, 714, 724, 732, 734ए, 736, 737, 738, 739/2 व 981, 982, 986, 988, 992/2 ग्राज गज्जवाड़ी परगना केन्द्रीयदून जिसका कुल क्षेत्रफल 16827.08 वर्ग मीटर है, का भू-उपयोग कृषि से शैक्षिक में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

अनुपूरक विषय क्रमांक 6:- खसरा नं० 551 ग्राम पुरुकुल कुल क्षेत्रफल 850 वर्ग मीटर/0.21 एकड़ को कृषि से आवासीय में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

अनुपूरक विषय क्रमांक 7:- खसरा नं० 552 नया नं० 623 ग्राम पुरुकुल कुल क्षेत्रफल 970 वर्ग मीटर/0.24 एकड़ भूमि को कृषि से आवासीय में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

अनुपूरक विषय क्रमांक 8 :- ग्राम कांवली में स्थित खसरा नं० 40 रकबा 336.38 वर्ग मीटर भूमि को आवासीय से व्यावसायिक भू-उपयोग (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम) में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया ।



अनुपूरक विषय क्रमांक 9 :- ग्राम पौधा में स्थित खसरा नं० 695,961,ख, 966क, ख, 969क, ख, 967क, 968क, 1109, 1110मि, 1113, 1114, 1115, 1116, 1123ख, जिसके पुराने खसरा नम्बर 849, 848, 845, 847, 714, 844, 846, 651, 648, 650, 652, 647, एवं 649 रकबा 1.6135 वर्ग मीटर 1.6135 है० भूमि का भू-उपयोग कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

अनुपूरक विषय क्रमांक 10 :- अमरजीत सिंह द्वारा प्रस्तुत मानचित्र संख्या 943/2006-2007 स्थल खसरा नं० 46य (नया) 36 (पुराना नं०) ग्राम चायबाग कौलागढ़ के सम्बन्ध में ।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड अनाधिकृत प्लाटिंग का भाग है अतः प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।

अनुपूरक विषय क्रमांक 11:- ग्राम गल्जवाड़ी में स्थित खसरा नम्बरान 970, 972, 975/1, 979, 971, 973, 740, 743, 980, 985, 987, 989, 990, 991, 993, 969, 769, 775, 782, 765, 766, 768, 772, 774, 777, 779,763, 764, 767, 770,771,773,776,778,779,780, 781 रकबा 4.1430 हेकटेयर 41430 वर्गमीटर का भू-उपयोग कृषि से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन करने हेतु ।

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

d



अनुपूरक विषय क्रमांक 12:- ग्राम गल्जवाड़ी में स्थित खसरा नम्बरान 970, 972,975/1, 979, 971, 973, 740, 743, 980, 985, 987, 989, 990, 991, 993, 969, 769, 775, 782, 765, 766, 768, 772, 774, 777, 779,763, 764, 767, 770,771,773,776,778,779,780, 781 रकबा 4.1430 हेक्टेयर 41430 वर्गमीटर का भू-उपयोग कृषि से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन करने हेतु ।

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

अनुपूरक विषय क्रमांक 13 :- ग्राम भण्डार गाँव में स्थित खसरा नम्बरान् नये 320क 323,326,329, 335, 338,331, 332, 340 ग, 333 क, 334क, 336ग, 340न, 333ख, 339, 399, 318क, 319, 321, 322, 323क, 324क, 327, 328क, 330क, 335ग, 336ख, 398क, 400ख, 320क, 324ख, 325,326ग, 328ख, 335ख 337, 340, 398ख, 330ख, 331क, 332क जिसके पुराने खसरा नम्बरान् 262, 265, 267, 313, 270, 272, 308, 309, 315, 339, 328,262, 264, 271,268, 312, 339, 254 मि0 266, 311, 314 एवं 269 रकबा 2.0180 हेक्टेयर 20180 वर्गमीटर का भू-उपयोग कृषि से आवासीय में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

अनुपूरक विषय क्रमांक 14 :- कृषि क्षेत्र में सन्त कबीर एजुकेशन सोसाइटी मिर्योवाला के मानचित्र संख्या- 825/2005-2006 के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

अनुपूरक विषय क्रमांक 15 - ग्राम तरला नागल में स्थित खसरा नम्बरान् नये 39, 44, 46, 47,48, 49, 50, 51, 114, 40क, 41घ, 41ग, 41ख, 42ख, 43क, 45क,5च, 5ट, 5छ,5ड जिसके पुराने खसरा नम्बरान् 26, 4मि, 62मि0, 4, 90,110, 111, 112, 113, 109, 83, 84, 85, 86,88 एवं 89 रकबा 1.6721 हेक्टेयर तथा ग्राम चालंग में स्थित नये खसरा नम्बरान् 1077क, 1081, 1082,1084, 1085, 1086, 1087, 1091, 1092क, 1092ख, 1093, 1094, 1095क, 1095ख 1104, 1106, 1107, 1109, 1111 जिसके पुराने खसरा नम्बर 1182, 1183, 1184, 1186, 1188, 1164, 1178, 1175, 1169, 1164, 1165, 1166, 1169, 1163, 1167, 1192, 1195, 1189, 1190,

Sub 1



1197 रकबा 1.425 हेक्टेयर कुल रकबा 3.0971 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग (AG) कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपूरक विषय क्रमांक 16 - ग्राम तरला नागल में स्थित खसरा नम्बरान् नये 6 से 11, 21 से 26, 32,33, 36, 37, 39,5ग, 12क, 19क, 20क, 27क, 28क, 34क, 35क, 40क, 5घ जिसके पुराने खसरा नम्बरान् 9मी, 63, 64, 69, 70, 65, 67, 68, 71से 78, 94, 95, 80, 81,90 एवं 91 रकबा 1.4023 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग कृषि से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपूरक विषय क्रमांक 17 - ग्राम अजबपुर कलों में स्थित नया खसरा 2045 क, पुराना खसरा नम्बर 1135 रकबा 371.74 वर्गमीटर का भू-उपयोग कृषि से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपूरक विषय क्रमांक :- 18 ग्राम अजबपुरकलां में स्थित खसरा नम्बर 199 रकबा 3240 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग आवासीय भू-उपयोग से व्यवसायिक भू-उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

31/12/2019 को 19.11.19

(सुब्रत विश्वास)
उपाध्यक्ष,
म0दे0वि0प्रा0
देहरादून।

Subram

(सुभाष कुमार)
आयुक्त/अध्यक्ष,
म0दे0वि0प्रा0
देहरादून।

Handwritten notes and signatures in blue ink, including dates like 15/11/19 and various names and initials.